निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण 1946 (श0)

(सं0 पटना 1202) पटना, शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2024

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
13 दिसम्बर 2024

एस०ओ० 501 दिनांक 13 दिसम्बर 2024—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 238 दिनांक 13.09.2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक सं० 847 दिनांक 13.09.2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) प्रविष्टि (ग) के पश्चात् और प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएंगी,-
"(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो अन्य किसी पंजीकृत व्यक्ति से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अन्तर्गत आने वाले, धातु स्क्रैप की आपूर्ति प्राप्त करता है";

(ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, -
"परंतु कि इस अधिसूचना में कोई भी बात, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत, इस अधिसूचना के खंड

(घ) को छोड़कर, निर्दिष्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–20) 5434)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

13 दिसम्बर 2024

एस०ओ० 501 दिनांक 13 दिसम्बर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–20) 5434)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 13th December 2024

S.O. **501 Dated 13th December 2024**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 read with section 51 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. S.O. 238 Dated 13.09.2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide no. 847, dated 13.09.2018, namely:–

In the said notification,

(i) after clause (c) and before the first proviso, the following clause shall be inserted,-

"(d) any registered person receiving supplies of metal scrap falling under Chapters 72 to 81 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from other registered person";

(ii) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely-

"Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both, which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of Section 51 of the said Act, except the person referred to in clause (d) of this notification."

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 5434)]
By the order of Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Singh,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1202-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in